[illegible] न्यायालय

[illegible] संख्या

[illegible] संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	16.05.2018	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट दूधली में पेश हुई। प्रार्थीया उपस्थित व अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थीया की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत दूधली ने की है। प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन एवं प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुनने एवं उपस्थित मौत बिरान (?) से उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में जानकारी लेने तथा लोक अदालत हेतु गठित बैंच के निर्णयानुसार वाद ग्रस्त आराजी ख.नं. 106, 111, 126, 186, 187, 224/124 कुल किता 6 कुल रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा तथा ख.नं. 123 रकबा 3 बिस्वा एवं ख.नं. 80 रकबा 4 बिस्वा, तथा खसरा नं. 101 रकबा 1 बिस्वा ख.नं. 175 रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा, ख.नं. 183 रकबा 3 बिस्वा ख.नं. 188 रकबा 11 बिस्वा, ख.नं. 189 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, ख.नं. 203 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा स्थित ग्राम सुजानपुरा पटवार क्षेत्र दूधली तह- बस्सी जिला जयपुर के सम्बन्ध में उभय पक्षों को पाबंद किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.01.17 को जारी स्थगन आदेश की पालना में उक्त वादग्रस्त भूमि की वाद के निर्णय तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली नम्बर से कम हो एवं मूलवाद के साथ शामिल हो। आज दिनांक 16.5.18 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट दूधली में मजमे आम में सुनाया गया। [signature] 16.5.18	[signature] प्रेम देवी सरपंच ग्राम पंचायत दूधली पं.स. बस्सी (जयपुर)